भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *328

दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

गोंडी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

†***328. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजाति -बहुल राज्यों से संविधान की आठवीं अनुसूची में गोंडी भाषा को शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार गोंडी भाषा के संबंध में मातृभाषा आधारित शिक्षा के संरक्षण, संवर्धन, मानकीकरण लिपि विकास और प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गोंडी भाषा के लिए किसी विशेष योजना को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): 'गोंडी' भाषा सहित,समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *328, दिनांक11.08.23026

भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 सभी अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर विशेष बल देती है। एनईपी, 2020 के अनुसार, जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक तथा वरीयता के आधार पर कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की गृहभाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होना चाहिए। नीति में गृहभाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं, जिनमें गोंडी भाषा भी शामिल है, के संवर्धन के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरु की स्थापना की है। भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डेटा कंसोर्टियम (एलडीसीआईएल) योजना के अंतर्गत सीआईआईएल गोंडी भाषा के लिए पाठ (Text) एवं वाक् (Speech) संग्रह के विकास पर कार्य कर रहा है।अपने भारतवाणी परियोजना के अंतर्गत सीआईआईएल भारतीय भाषाओं, जिनमें गोंडी भी शामिल है, के ज्ञान-संसाधनों के संकलन, डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रसार की दिशा में कार्य कर रहा है। वर्तमान में भारतवाणी के गोंडी भाषा अनुभाग में कुल 33 संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें 15 भाषा-अधिगम संसाधन, 16 विश्वकोशीय संसाधन तथा 2 शब्दकोश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईआईएल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से गोंडी–तेलुगु प्राइमर तथा गोंडी–ओड़िया प्राइमर भी तैयार किए हैं।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी अपने मौखिक और जनजातीय साहित्य केंद्र के माध्यम से जनजातीय भाषाओं एवं साहित्य के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करती है। साहित्य अकादमी के अंतर्गत एक भाषा विकास बोर्ड भी कार्यरत है, जिसके माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं तथा शास्त्रीय एवं मध्यकालीन साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए भाषा सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार विभिन्न भाषा सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है।

साहित्य अकादमी ने, गोंडी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, प्रो. हीरा लाल शुक्ल को वर्ष 2004 का भाषा सम्मान प्रदान किया था।
